

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

संख्या : 961-1020/F0

दिनांक : 27-08-2022

सेवा में,

- समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- निदेशक/प्रभारी/समन्वयक, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- प्रधान-अन्वेषक, समस्त विभाग/संस्थान, (उभय-परिसर), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- निदेशक, समस्त संस्थान, (उभय-परिसर), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- कार्य-अधीक्षक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- मुख्य अभिरक्षिका, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- समस्त अभिरक्षक/अभिरक्षिका, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- निदेशक, सूचना प्रकाशन एवं जनसंपर्क केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- प्रभारी, द्वितीय परिसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- ओ.एस.डी.-आई.एम.एस., लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- निदेशक, गार्डन एवम् ग्राउन्ड, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषय : जी एस टी बीजकों के भुगतान के संबंध में।

महोदय/महोदया,

- प्रायः देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/संस्थानों/परीक्षा-प्रकोष्ठों द्वारा उनके जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को रु. 5000/- से अधिक का नगद भुगतान करके प्रतिपूर्ति बीजक/पत्रावली लेखा-कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं। इससे अप्रत्यक्ष रूप से करापवंचन को बल मिलता है। इस पर ऑडिट विभाग द्वारा समय-समय पर आपत्ति भी दर्ज की जा रही है।
- विभिन्न विभागों/कार्यालयों/संस्थानों/परीक्षा-प्रकोष्ठों द्वारा नगद भुगतान किये जाते हैं किन्तु प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है।
- देयकों पर कार्य/आपूर्ति संतोषजनक होने का प्रमाणन नहीं किया जाता है।

उपरोक्त कमियों के कारण बीजकों/पत्रावलियों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः अपेक्षित है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए ही प्रतिपूर्ति बीजक/पत्रावली लेखा-कार्यालय को प्रेषित किये जायें। ऐसा न किये जाने की स्थिति में संबंधित उत्तरदायी होगा तथा इस प्रकार के क्रय से सम्बन्धित बीजक, भुगतान हेतु लेखा कार्यालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

भवदीया,

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. लेखा अधिकारी/समस्त सहायक कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. समस्त प्रधान-सहायक, कार्यालय-अधीक्षक लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित, कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(वित्त अधिकारी)